न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 3896–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–8–13 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला विदिशा प्रकरण क्रमांक 225/स्व0 निगरानी/2010–11.

सुरेश कुमार पुत्र श्री बाबूलाल
निवासी ग्राम दीपनाखेड़ा
तह0 सिंरोज, जिला विदिशा म.प्र. ---- आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन
2– भगवतसिंह पुत्र श्री हनुमत सिंह
3– रूकमणीबाई पुत्री श्री हनुमंत सिंह
4– रामकुंवरबाई बेवा श्री हनमुतसिंह (मृत)
वारिसान –
(1) जीवनसिंह पुत्र स्व. श्री हनुमंत सिंह
(2) भगवत सिंह पुत्र स्व. श्री हनुमंत सिंह
(3) रूकमणी बाई पुत्री स्व. श्री हनुमंत सिंह
निवासीगण ग्राम दीपनाखेड़ा तहसील सिंरोज
जिला विदिशा म0प्र0
(4) जसवंत सिंह पुत्र स्व. श्री हनुमंतसिंह (मृत) वारिसान–
अ– लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व. श्री जसवंतसिंह
ब– लखनसिंह पुत्र स्व. श्री जसवंत सिंह
स– नर्वदी पत्नि श्री हरीसिंह पुत्री
निवासी खजूरी तहसील गुलाबगंज जि0 विदिशा

द– इन्द्राबाई पत्नि श्री महेन्द्र सिंह
पुत्री स्व. श्री जसवंतसिंह
निवासी गढ़ला तह0 नटेरन
इ– गायत्री पत्नि श्री निरंजन
पुत्री स्व. श्री जसवंत सिंह
निवासी चितोरिया तहसील नटेरन
जिला विदिशा ---- अनावेदकगण

श्री मेहरबान सिंह, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री नीरज श्रीवास्तव, अधिवक्ता, अनावेदकगण.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10 – 12 – 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 225/स्व0 निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30–8–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, सिंरोज द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–46/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 18–3–94 विधि विरूद्ध पाए जाने के कारण स्वमेव निगरानी में लिया गया एवं आदेश दिनांक 26–2–2004 द्वारा उक्त आदेश निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध सुरेश कुमार आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के न्यायालय में निगरानी पेश की जिसमें उन्होंने दिनांक 30.10.10 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को

भेजा गया । अपर आयुक्त से प्रकरण प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवकता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वरिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार प्रकरण का निराकरण नहीं किया है इस कारण उक्त आदेश निरस्ती योग्य है । यह कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि शासन को अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर मुद्रांक शुल्क की हानि पहुंचाई गई है । आवेदक मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क मय दण्ड के भुगतान करने को तत्पर था/है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को शासन की हानि की क्षतिपूर्ति करना चाहिए था ना कि विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त करना चाहिए था । अंत में यह कहा गया कि लंबे अंतराल के बाद प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया गया है जो विधिसम्मत नहीं है ।उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का सूक्ष्मता से अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा नामांतरण किए जाने के विरूद्ध अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी पेश की गई थी जिसमें उन्होंने यह पाया कि अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर हस्तांतरण हुआ है और इसलिए शासन को स्टाम्प शुल्क की हानि हुई है । परिणामस्वरूप उन्होंने अन्य आधारों के साथ उक्त नामांतरण निरस्त किया । जिसके विरूद्ध

आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के न्यायालय में निगरानी की गई जिसमें जिसमें उन्होंने उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी का निराकरण करते हुए प्रकरण अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया किया कि आवेदक द्वारा उल्लिखित तथ्यों के आधार पर वे यथोचित आदेश पारित करें । चूंकि उनके समक्ष यह कहा गया था कि आवेदक शासन को स्टाम्प शुल्क की हानि को भरे को तैयार है । इस पर से अपर आयुक्त ने प्रकरण अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया है । अपर कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने अपर आयुक्त के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए प्रकरण को देखकर यह पाया है कि तहसीलदार को कोई अधिकार वर्तमान विधान के अंतर्गत नहीं है जिससे वह स्टाम्प डयूटी या शुल्क लेकर अपने पूर्व के आदेश को नियमित कर सकें और चूंकि तहसीलदार ने ऐसा किया है इस कारण अपर कलेक्टर ने तहसील के आदेश को उचित न मानकर निरस्त करते किया है । तहसीलदार का आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण उसको स्थिर रखने का कोई प्रश्न नहीं है और अपर कलेक्टर का आदेश विधिसम्मत, उचित न्यायिक तथा समतामय होकर अभिलेख के अनुसार होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उपरोक्त आधारों पर प्रस्तुत निगरानी सारहीन तथा आधारहीन पाई जाने के कारण निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर